

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2023/68

उप खण्ड अधिकारी
अज अदालत बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

मुकदमा

बामेश्वर लाल

बनाम

गिर्भपराय

किस्म मुकदमा

श. 49 128

40/2023

सन्

तारीख हुकम	हुकम का कर्तव्यता का अर्थव्यवस्था जण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<u>3/5/23</u>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा..... जयपिहपुरा..... ग्राम..... 1053/532, 1056/534, 1057/464 की आ.न..... 8.88, 8.22..... की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजुदगी में की जावे।</p> <p>प्रार्थी से कमीशनरी फिस रूपये 1200/- वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p>	

